



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 207

7 वैशाख, 1934 शकाब्द

राँची, शुक्रवार 27 अप्रैल, 2012

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

27 अप्रैल, 2012

संख्या-एल०जी०-08/2012-81/लेज०, झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

[झारखण्ड अधिनियम 14, 2012]

## झारखण्ड विज्ञापन कर अधिनियम, 2012

झारखण्ड राज्य में झारखण्ड विज्ञापन कर के प्रयोजन हेतु झारखण्ड विज्ञापन कर अधिनियम।

भारतीय गणराज्य के 63वें वर्ष में यह अधिनियमित हों :-

1 संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड विज्ञापन कर अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका प्रसार पूरे झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

**2. परिभाषाएं** — इस अधिनियम में जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(a) विज्ञापन का अभिप्रेत है— कोई शब्द, पत्र, मोडेल, चिन्ह, नीयोन चिन्ह, आकाश चिन्ह, इशतहार, सूचना, ढाँचा, माध्यम या चित्रण की प्रकृति का, प्रकाशित या नहीं जो राज्य में विज्ञापन घोषणा या परिचालन का उद्देश्य से पूरी तरह से या आंशिक रूप से लोगों की दृष्टि में प्रदर्शित करने या दिखाने हेतु या बनाए रखने के लिए, लेकिन समाचारपत्रों में प्रकाशित या रेडियो या दूरदर्शन या सिनेमा में प्रसारित विज्ञापन या राजनीतिक दल द्वारा प्रसारित विज्ञापन उक्त में शामिल नहीं हैं।

(b) विज्ञापन एजेंट से अभिप्रेत है— कोई व्यक्ति, जो अन्य के लिए या अन्य व्यक्ति के बदले में विज्ञापन का व्यवसाय करता है एवं नकद भुगतान या बिलंबित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हेतु विज्ञापन की सुविधा प्रदान करता है, और कोई संस्था, संघ, अविभाजित हिन्दु परिवार, एक फर्म, कम्पनी कॉरपोरेशन एवं सरकार के किसी विभाग द्वारा इस प्रकार के विज्ञापन का व्यवसाय करने वाला सम्मिलित होंगे।

(c) निर्धारिती से अभिप्रेत है कोई विज्ञापन एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति जो अपने व्यवसाय या व्यापार या वृत्ति के क्रम में किसी विज्ञापन का प्रदर्शन करता है, जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य राशि की देयता बनती है।

(d) आयुक्त से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 के अधीन नियुक्त वाणिज्य-कर आयुक्त या वाणिज्य-कर अपर आयुक्त और इसमें सरकार द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अधीन नियुक्त अन्य कोई पदाधिकारी, जिसे सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की सभी या कोई अधिकार या कर्तव्य को प्रदत्त कर सकता है, शामिल हैं।

(e) सरकार से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

(f) समाचार पत्र से अभिप्रेत है कोई भी मुद्रित पत्रिका जिसमें जन समाचार या जन समाचार की टिप्पणी शामिल है।



(g) माह से अभिप्रेत है कलैण्डर माह।

(h) प्राधिकृत से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित।

(i) प्राधिकृत पदाधिकारी से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा (4) के अधीन नियुक्त पदाधिकारी एवं उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उक्त पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकार और शक्तियों तथा संबंधित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट संबंधित प्रविष्टियों में अंकित क्षेत्रों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के उद्देश्य हेतु में विनिर्दिष्ट कार्य कर्तव्य और शक्तियाँ।

(j) तिमाही से अभिप्रेत हैं 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर, तथा 31 मार्च को समाप्त होनेवाली तिमाही।

(k) निबंधित विज्ञापन कर्त्ता से अभिप्रेत है विज्ञापन कर्त्ता या विज्ञापन एजेंट, जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन वैट निबंधन प्रमाणपत्र प्राप्त हो।

(l) आकाश चिन्ह से अभिप्रेत है कोई विज्ञापन जो किसी स्तंभ, डंडे, झंडे, ढाँचा या किसी सहारे से पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से किसी जमीन, भवन, दीवार या ढाँचा के सहायता से जुड़ा हुआ हो, जो या जिसका कोई भाग किसी सार्वजनिक स्थान से आकाश की पृष्ठभूमि में दिखाई पड़ता है और जिसके अधीन इस प्रकार के सभी स्तंभ, डंडे, झंडे, ढाँचे या अन्य सहारा सम्मिलित हो। इस आकाश चिन्ह के अधीन विज्ञापन के उद्देश्य से किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी जमीन, भवन या ढाँचे के ऊपर कोई गुब्बारे, पैराशूट या अन्य इस प्रकार के माध्यम सम्मिलित होंगे लेकिन इसके अधीन निम्न शामिल नहीं होंगे।

(i) कोई ध्वजडंड, डंडा, बंद गाड़ी या वातसूचक शामिल नहीं हैं, जबतक इसे पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से विज्ञापन के उद्देश्य से प्रयुक्त किया गया हो।

(ii) भवन के दीवाल या छज्जे से जुड़ा कोई चिन्ह, बोर्ड या यंत्र, जो छत के किनारे या कारनिस से जुड़ा हुआ हो, बशर्ते ऐसा बोर्ड, फ्रेम या अन्य यंत्र, उसी ढाँचे का हिस्सा हो और अलग से नहीं लगाया गया हो और दीवाल के किसी भाग या छज्जे के किसी कोने, जिससे जुड़ा हुआ है, से एक मीटर से अधिक ऊँचा नहीं हो या

- (iii) किसी जमीन, भवन या किसी जमीन, भवन के मालिक या दखलदार के नाम का विज्ञापन या
- (iv) रेलवे व्यवसाय से संबंधित कोई विज्ञापन, जो रेलवे के प्लेटफार्म, रेलवे स्टेशन यार्ड के उपर अवस्थित हो और किसी गली या सार्वजनिक स्थल पर नहीं हो या
- (v) किसी जमीन या भवन के ऊपर लगी उस जमीन या भवन बिक्री की सूचना।

व्याख्या — आकाश चिन्ह के अधीन चिन्ह, नियोनचिन्ह, तथा इशतहार शामिल है।

- (m) ढोंचा — से अभिप्रेत है, और इसमें शामिल है कोई निर्माण, फ्रेम, स्तंभ, भवन, दीवाल, हॉर्डिंग या किसी वाहन के ऊपर लगा विज्ञापन जिसे सार्वजनिक दर्शन हेतु प्रदर्शित किया जाता है या रखा जाता है।

व्याख्या — इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु वैसे वाहन सम्मिलित नहीं होंगे जो राज्य से गुजर रहे हैं या अपने व्यवसाय कम में या अन्यथा राज्य से गुजर रहे हैं।

- (n) न्यायाधिकरण — से अभिप्रेत है झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 05 की धारा 3 तथा उक्त के अधीन निर्मित नियमावली के अधीन गठित न्यायाधिकरण।

- (o) विज्ञापन का मूल्य — से अभिप्रेत है नगद या विलंबित भुगतान या अन्य प्राप्ति या प्राप्ति योग मूल्यवान प्रतिफल जो विज्ञापन एजेंट को उसके द्वारा बनाए गए विज्ञापन हेतु प्राप्त होता है।

- (p) वर्ष — से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष।

3. कर का प्रभार — उपधारा (2) की प्रावधान की शर्त पर, निर्धारिती द्वारा राज्य सरकार की इस अधिनियम के साथ संलग्न परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट दर पर विज्ञापन कर का अधिरोपण तथा भुगतान किया जाएगा।

परन्तु यह कि राज्य सरकार विज्ञापन की विभिन्न श्रेणियों पर विभिन्न कर दर या दरें विनिर्दिष्ट कर सकती है।

परन्तु यह भी कि कर-दर विज्ञापन मूल्य के 20 प्रतिशत से अनधिक होगी।

- (2) ऐसे विज्ञापनों पर कर-देयता नहीं होगी, जो



(क) सार्वजनिक बैठकों या लोकसभा चुनाव या विधान सभा चुनाव से संबंधित हो; या

(ख) किसी भवन के परिसर के भीतर प्रदर्शित हो और उस भवन से परिचालित व्यवसाय, वृत्ति या व्यापार से संबंधित हो, या

(ग) ऐसे व्यवसाय, वृत्ति या व्यापार से जो उस जमीन या भवन पर प्रदर्शित विज्ञापन से संबंधित है या उस जमीन या भवन की बिक्री या लीज, मनोरंजन या बैठक के विज्ञापन से संबंधित हो; या

(घ) उस जमीन या भवन के नाम के विज्ञापन से संबंधित है या ऐसी जमीन या भवन के मालिक या दखलदारी के नाम से संबंधित हो; या

(ङ) रेलवे प्रशासन से संबंधित हो और रेलवे स्टेशन या रेलवे प्रशास्त के संपत्ति या दीवाल पर प्रदर्शित हो; या

(च) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के गतिविधि से संबंधित हो।

(3) जब एक निर्धारिती अपने विज्ञापन के लिए एक से अधिक निबंधन प्राप्त किए हुए हैं तब प्रत्येक निबंधन हेतु अलग से कर भुगतान की देयता होगी।

**(4) कर विमुक्ति** — राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विहित शर्तों तथा प्रतिबंधों के अधीन, यदि आवश्यक समझे, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के श्रेणी या किसी विज्ञापनकर्त्ता या विज्ञापनकर्त्ताओं की श्रेणियों को धारा 3 और धारा 8 के अधीन की कर देयता और कर भुगतान से विमुक्ति प्रदान कर सकता है।

**(5) इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के दायी व्यक्ति द्वारा कर वसूली** — कोई निर्धारिती या व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई विज्ञापन करने या अन्य व्यक्ति के बदले विज्ञापन करने पर भुगतान या किसी मूल्यवान प्रतिफल हेतु कर भुगतान का कर दायी है, अन्य व्यक्ति से जिसके लिए विज्ञापन किया गया है कर की वसूली कर सकता है।

**(6) निबंधन** —(1) कोई निर्धारिती व्यवसायी या व्यक्ति जिसपर इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 8 के अधीन कर भुगतान की देयता बनती है, विज्ञापन बनाने का कार्य नहीं करेगा जबतक वहां वैध निबंधन नहीं प्राप्त करेगा।

(2) उपधारा (1) में प्रासंगिक कोई निर्धारिती या व्यक्ति प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष, विहित तरीके से निबंधन हेतु आवेदन देगा और प्राधिकृत पदाधिकारी

यह सत्यापित कर कि आवेदन उचित ढंग से भरा गया है, विहित तरीके से निबंधन प्रदान करेगा।

**(7) विवरणियाँ** — (1) प्रत्येक निबंधित विज्ञापनकर्ता प्राधिकृत पदाधिकारी को उसके द्वारा या अन्य के बदले में किए गए विज्ञापन से संबंधित एक तिमाही में किये गए सभी संव्यवहारों से संबंधित एक सही, शुद्ध और पूर्ण विवरणी, प्रत्येक तिमाही के अगले महीने में या महीने के अंत में दाखिल करेगा।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अधीन यदि कोई निबंधित विज्ञापनकर्ता विवरणी दाखिल नहीं करता है, तब प्राधिकृत पदाधिकारी ऐसे निबंधित विज्ञापनकर्ता को विहित तरीके से सुनवाई का मौका प्रदान करते हुये प्रत्येक माह के बिलंब पर दो सौ रूपया की दर से अर्थदंड आरोपित करेगा।

(3) इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति धारा 9 के अधीन की गए कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

**(8) कर का भुगतान** — (1) प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने का दायी है, प्रत्येक महीने के कर का भुगतान, अगले महीने की पन्द्रह तारीख के पहले या पन्द्रह तारीख तक विहित तरीके से कर का भुगतान करेगा तथा कर भुगतान का प्रमाण, विहित प्रपत्र में विहित तरीके में दाखिल करेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन, कर भुगतान के दायी व्यक्ति यदि उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन कर भुगतान नहीं करता है, तब ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन भुगतेय कर राशि पर भुगतान की देय तिथि से प्रतिमाह 2 प्रतिशत की दर से सूद भुगतान का दायी होगा।

व्याख्या — इस उपधारा हेतु यदि कर भुगतान में बिलंब की अवधि एक महीने से कम हो तो ऐसे कर पर सूद की दर अनुपातिक तरीके से संगुणित की जाएगी।

(3) इस धारा के अधीन सूद का अधिरोपण धारा 9 के अधीन होनेवाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

**(9) अपराध** — (1) कोई भी —

(क) धारा 3 या 8 के अधीन भुगतान के दायी होने पर या धारा 6 के प्रावधान का उल्लंघन करता है; या

(ख) धारा 7 के अधीन विवरणी दाखिल नहीं करता है; या



(ग) धारा 5 के अधीन अधिकृत कर वसूली से अधिक कर राशि एकत्रित करता है; या

(घ) धारा 8 के अधीन अपेक्षित कर भुगतान नहीं करता है; या

(ङ) किसी पदाधिकारी को जाँच या जप्ती करने में अवरोध पैदा करता है; या

(च) किसी व्यक्ति को कंडिका (a) या कंडिका (b) या कंडिका (c) या कंडिका

(d) या कंडिका (e) में विनिर्दिष्ट अपराध करने में मदद करता है या अवप्रेरित करता है;

दोषी सिद्ध होने पर जेल की सजा का दंड जो एक महीने से अनधिक, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है एवं दो हजार रुपये से अनधिक जुर्माना का हकदार होगा।

(10) अपराध का प्रशमन — (1) आयुक्त, धारा 9 के अधीन कार्रवाई शुरू के पूर्व या उपरांत, धारा 9 तथा अधिनियम के अधीन निर्मित नियम के अधीन दोषी पाये गये व्यक्ति से अपराध के प्रशमन के तौर पर, दस हजार रुपये से अनधिक एवं जहाँ अपराध के कारण इस अधिनियम के अधीन कर अपवंचना हुई है या हो सकती है, उक्त कर-राशि की तिगुनी राशि से अनधिक राशि, जो भी अधिक हो स्वीकार करेगा।

(2) ऐसी राशि के भुगतान के उपरांत जिसे आयुक्त निर्धारित करेगा उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

(11) झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम 05, 2006) तथा उसके अधीन बताए गए नियम के प्रावधानों की उपयुक्तता — इस अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमावली के प्रावधानों की शर्त पर, झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम 05, 2006) के अधीन कर-निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण, कर भुगतान, सूद का भुगतान, अर्थदंड के भुगतान की वसूली तथा कार्यान्वयन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण, पुनर्करनिर्धारण, सूद तथा अर्थदंड की वसूली तथा भुगतान का कार्यान्वयन के उद्देश्य से उक्त अधिनियम तथा इसके अधीन निर्मित नियमावली के अधीन सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जो वर्तमान में प्रभावी है। साथ ही, विवरणी, कर-निर्धारण, कर-निर्धारण में आवर्त के छूट जाने पर, कर की वसूली, सूद और अर्थदंड, वसूली की विशेष रीति, लेखापुस्तों का संधारण, जाँच

और जप्ती, प्रतिनिधियों का दायित्व, कर वापसी, अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन, अपराधों का प्रशमन एवं उक्त अधिनियम के प्रावधान हूबहू लागू होंगे।

**(12) नियमावली बनाने की शक्ति** — (1) राज्य सरकार संबंधित नियमावली बना सकती है बशर्ते वे अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हो —

(क) इस अधिनियम के अधीन आवश्यक सभी मामलों में जिन्हें सामान्यतया इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु तत्काल विहित करना अपेक्षित है एवं प्रक्रियाओं को नियमित करने, प्रपत्रों को अंगीकृत करने तथा इस अधिनियम की प्रक्रियाओं हेतु फीस निर्धारित करने तथा अन्य आनुषंगिक एवं प्रासंगिक मामलों में,

(ख) अन्य सभी मामलों में जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन प्रर्याप्त प्रावधान नहीं हैं या प्रावधान नहीं हैं और जो राज्य सरकार के विचार से अधिनियम को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक है।

(2) इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन दंडनीय होगा जिसके लिए तीन हजार रुपये तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है और जहाँ उल्लंघन अनवरत है, वहाँ प्रतिदिन पचास रुपये की दर से जुर्माना आरोपित हो सकता है, जबतक उल्लंघन होता है।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम, बनाने के उपरांत शीघ्र ही राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा, जब उसका कुल चौदह दिन की अवधि का सत्र रहा हो और वह अवधि एक सत्र में या दो उत्तरवर्ती सत्रों में हो सकती है और यदि जिस सत्र में नियम विधान सभा के समक्ष रखा जाता है, उस सत्र या उसके तत्काल बाद के सत्र की समाप्ति के पहले राज्य विधान सभा के दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन सहमत हो जाते हैं, कि नियम नहीं बनाए जाए तो नियम यथास्थिति ऐसी परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या पहले की गई या किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

**(13) अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति** — राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची की वस्तुओं में योग या घटाव या संशोधन या परिवर्तन कर सकेगी।



(14) निरसन या व्यावृत्तियाँ — विज्ञापन कर करारोपण से संबंधित सभी प्रावधान समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के अतिरिक्त बिहार वित्त अधिनियम 1981 एवं उसके अधीन निर्मित नियमावली (झारखण्ड राज्य में जैसा अंगीकृत किया गया) या इस अधिनियम के प्रसार के समय प्रभावी कोई अन्य विधान निरसित मानी जायेगी।

परन्तु यह कि यह निरसन प्रभावी नहीं कर सकेगा :—

(क) निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, स्वामित्व बाध्यता या दायित्व जो निर्धारि विधि के तत्काल पूर्व की अवधि में किसी कार्यो के फलस्वरूप घटित हुआ हो, प्रभावित नहीं होगा;

(ख) निरसित अधिनियम के ठीक पूर्व या प्रारंभ की गई या कोई विधिक कार्यवाही या उपचार, जो कोई अधिकार, स्वामित्व, बाध्यता या दायित्व से संबंधित हो;

(ग) उक्त अवधि से संबंधित, करारोपण, कर—निर्धारण, कर वसूली या किसी अर्थदण्ड का आरोपण या वसूली, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानित सभी मामलों की सभी प्रक्रियाएं प्रारंभ की जाएगी और निष्पादित की जाएगी या जैसी स्थिति हो, चलती रहेगी या जैसी स्थिति हो, चलती रहेगी या निष्पादित होगी, मानो यह अधिनियम प्रभावी नहीं है।

## अनुसूची

निर्धारिती के द्वारा, उसके द्वारा या उसके माध्यम से बनाए गए विज्ञापन मूल्य के 7.5 प्रतिशत की दर पर कर भुगतान होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,

सरकार के सचिव—सह—विधि परामर्शी  
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

## अधिसूचना

27 अप्रैल, 2012

संख्या-एल०जी०-08/2012-82/लेज०, झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को अनुमत झारखण्ड विज्ञापन कर अधिनियम, 2012 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

## [JHARKHAND ACT 14 OF 2012]

**The Jharkhand Advertisement Tax Act, 2012**

AN ACT to enact the Taxation on Advertisement published in newspapers and broadcast by radio or on television with regard to its applicability and enforcement within the State of Jharkhand.

Be it enacted in the 62<sup>nd</sup> year of the Republic of India :-

**1. Short title, extent and commencement** – (1) This Act may be called the Jharkhand Advertisement Tax Act, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the official gazette.

**2. Definitions** – In this Act unless there is anything repugnant in the subject or context: -

(a) “**Advertisement**” shall mean any word, letter, model, sign, neon-sign, sky-sign, placard, notice, structure, device or representation, whether illuminated or not, in the nature of, and employed wholly or in part exhibits or displayed or retained for the public view for the purposes of advertisement, announcement or



direction, but shall not include such advertisements published in a newspaper or broadcast by radio or television or cinematograph and any advertisements exhibited or broadcast by any political party;

(b) “**Advertising Agent**” means a person who carries on the business of making advertisement on behalf of other persons for cash or deferred payment or other valuable consideration and includes a society, a club, an association, an undivided Hindu family, a firm, company or a corporation and any department of Government carrying on such business of advertisement.

Explanation – The proprietor of a cinema house or any other place of entertainment who exhibits advertisement by means of cinema slides, film trailers or films on behalf of other persons for cash or deferred payment or other valuable consideration who make an advertisement to promote his own business shall be deemed to be an advertisement agent for the purpose of this Act.

(c) “**Assessee**” means any advertisement agent or any other person, who in course of a business, trade and profession; exhibits any advertisement, and by whom a tax or any other sum of money is payable under this Act.

(d) “**Commissioner**” for the purpose of this Act means the Commissioner of Commercial Taxes or Additional Commissioner of Commercial Taxes as appointed by the Government under section 4 of the Jharkhand Value Added Tax Act 2005 (Jharkhand Act 05, 2006) and includes any other officer appointed under section 4 of Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 upon whom the State Government may by notification, confer all or any of the powers and duties of the Commissioner to carry out the purposes of this Act.

(e) “**Government**” means Government of Jharkhand.

(f) “**Newspapers**” includes any printed periodical work containing public news or comments on public news.

(g) **“Month”** means a Calendar month.

(h) **“Prescribed”** means prescribed by rules made under this Act;

(i) **“Prescribed Authority”** means the authorities as appointed under section 4 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006) and as specified under sub-section (2) of Section 4 of the said Act, to exercise and perform the powers and duties respectively conferred upon such authorities by or under the said Act, within the specified respective area(s) mentioned in the corresponding entries of the said notification and as prescribed to carry out the functions, duties and powers: in order to carry out the purposes of this Act.

(j) **“Quarter”** means the quarter ending on the 30th June, 30th September, 31st December and 31st March:

(k) **“Registered advertiser”** means an advertiser or advertising agent in possession of a valid certificate of registration granted under the provisions of this Act;

(l) **“Sky Sign”** means any advertisement supported on or attached to any post, pole, standard, frame-work or other support wholly or in part upon or over any land, building, wall or structure which, or any part of which shall be visible against the sky from some point in any public place and includes all and every part of any such post, pole, standard, frame-work or other support. The expression ‘sky-sign’ shall also include any balloon, parachute or other similar device employed wholly or in part for the purposes of any advertisement upon or over any land, building or structure or upon or over any public place but shall not include-

(i) any flag-staff, pole, van or weather-cock, unless adapted or used wholly or in part for the purpose of any advertisement



(ii) any sign, or any board, frame or other contrivance securely fixed to or on the top of the wall or parapet of any building, or on the cornice or blocking course of any wall, or to the ridge of a roof:

Provided that such board, frame or other contrivance be of one continuous face and not open work, and does not extend in height more than one meter above any part of the wall, or parapet or ridge to, or against, or on which it is fixed or supported; or

(iii) any advertisement relating to the name of the land or building, upon or over which the advertisement is exhibited, or to the name of the owner or occupier of such land or building; or

(iv) any advertisement relating exclusively to the business of a railway, and placed wholly upon or over any railway, railway station, yard, platform or station approach belonging to a railway, and so placed that it cannot fall into any street or public place; or

(v) any notice of land or buildings to be sold, or let, placed upon such land or buildings.

Explanation – Sky-sign shall also include ‘sign’, ‘neon-sign’ and ‘placard’.

(m) “**Structure**” means and includes any erection, fixes, frame, posts, building, wall, hoarding or upon or in any vehicle any advertisement is exhibited or displayed or retained for a public view.

(n) “**Tribunal**” means the Tribunal constituted under section 3 of the Jharkhand Value Added Tax Act 05 and the rules made thereunder;

(o) “**Value of advertisement**” means cash or deferred payment or any other valuable consideration received or receivable by an advertising agent in respect of advertisements made by him.

(p) “**Year**” means a financial year.

3. **Charge of Tax** – (1) Subject to the provisions of subsection (2), there shall be levied and paid to the State Government by

an assessee: a tax on advertisement at the rate(s) as specified in the schedule; appended to this Act.

Provided that the State Government may specify different rate or rates of tax in respect to different categories of advertisement.

Provided further that the rate of tax shall not exceed twenty percent of the value of advertisement.

(2) No tax shall be payable on such advertisements, which: -

(a) relates to a public meeting, or to an election to Parliament or the Legislative Assembly; or

(b) is exhibited within the premises of any building if such advertisement relates to the trade, profession or business carried on in that building; or

(c) relates to the trade, profession or business carried on within the land or building upon or over which such advertisement is exhibited or to any sale or letting so such land or building or any effects therein or to any sale, entertainment or meeting to be held on or upon or in the same; or

(d) relates to the name of the land or building upon or over which the advertisement is exhibited, or to the name of the owner or occupier of such land or building; or

(e) relates to the business of a railway administration and is exhibited within any railway station or upon any wall or other property of a railway administration; or

(f) relates to any activity of the Central Government or the State Government(s).

(3) When an assessee holds more than one registration for his advertisement, the tax shall be payable separately in respect of his each registration.

4. **Exemption** – The State Government may, by notification and subject to such conditions or restrictions, if any, as it may think fit to



impose, exempt, from the levy and payment of tax payable under Section 3 or 8, any person or class of persons or any advertisement or class of advertisements.

**5. Collection of tax by a person liable to pay tax under this Act** – Any assessee or person, who is liable to pay tax under this Act for any advertisement done on behalf of other person for payment or for any other valuable consideration, may recover the amount of tax payable by him from such other person in respect of advertisement done on his behalf.

**6. Registration** – (1) No assessee or person liable to pay tax under Section 3 of this Act shall make an advertisement unless he has obtained and is in possession of a valid certificate of registration.

(2) Every assessee or person, referred to in sub-section (1), shall apply for the grant of certificate of registration to the prescribed authority in the prescribed manner and the prescribed authority, shall, after verifying that the application has been duly filled in, grant certificate of registration in the manner as may be prescribed.

**7. Returns** – (1) Every registered advertiser shall furnish to the prescribed authority, a true, correct and complete return in respect of all his transactions relating to advertisements made by him or on his behalf during each quarter, on or before the end of the month following the end of the quarter.

(2) If a registered advertiser fails to furnish the return within the time specified under sub-section (1), the prescribed authority shall, after giving such a registered advertiser an opportunity of being heard in the manner prescribed, impose a penalty at the rate of two hundred rupees for every month of such failure.

(3) Any penalty levied under this section shall be without prejudice to any action, which is, or may be, taken under section 9.

**8. Payment of Tax** – (1) Every person liable to pay tax under this Act shall, deposit the tax payable in respect of every month on or before the fifteenth day of the following month in such manner as may be prescribed and shall furnish the proof of payment in the form and manner prescribed.

(2) If a person liable to pay tax under this Act fails to pay the amount of tax payable according to the provisions of sub-section (1), such person shall be liable to pay interest, in respect of tax payable under sub-section (1), at the rate of two percent per month of the amount due from the date the tax so payable had become due to the date of its payment.

Explanation: - For the purpose of this sub-section, where the period of default in payment of tax covers a period less than a month, the interest payable on such tax in respect of such period shall be computed proportionately;

(3) Any interest levied under this section shall be without prejudice to any action, which is, or may be, taken under section 9.

**9. Offence** – (1) Whoever –

(a) while being liable to pay tax under section 3 or 8 contravenes the provisions of section 6; or

(b) fails to furnish a return required under section 7; or

(c) collects tax in excess of the amount to which he is entitled under section 5; or

(d) fails to make payment of tax as required under section 8; or

(e) obstructs any officer making inspection or search of seizure; or

(f) aids or abets any person in the commission of any offence specified in clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (e)



Shall, on conviction, be punished with imprisonment, of either description, for a term which shall not be less than one month but which may extend to three months and with fine not exceeding two thousand rupees.

(2) The offence shall be bailable and non-cognizable. It shall be triable by the Court of Judicial Magistrate first class.

**10. Compounding of offences** – (1) The Commissioner may, either before or after initiating of proceedings under section 9, accept from a person charged with an offence under section 9 or under any rule made under this Act by way of compounding of the offence, a sum not exceeding ten thousand rupees and where the offence charged was likely to cause or caused evasion of any amount of tax payable under this Act, a sum not exceeding three times of such amount, whichever is higher.

(2) On payment of such sum as may be determined by the Commissioner no further proceeding shall be taken against the person in respect of such offence.

**11. Applicability of the provisions of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Act 05 of 2006) and Rules made thereunder:**

- Subject to other provisions of this Act and Rules framed thereunder the authority empowered to assess, reassess, collect and enforce payment of tax, interest and penalty payable by a dealer under the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Act 05 of 2006) shall assess, reassess, collect and enforce payment of tax, interest and penalty payable under this Act and for this purpose they may exercise all or any of the powers assigned to them under the said Act and Rules made thereunder for the time being in force including the provisions relating to returns, assessment, escaped assessment, recovery of tax, interest and penalty, special mode of recovery, maintenance of accounts, inspection, search and seizure, liability in representative character,

refund, appeal, revision and reviews, compounding offences and other miscellaneous matters and the provisions of the said Act shall *mutantis mutandis* apply accordingly.

**12. Power to make rules –** (1) The State Government may make rules not inconsistent with the provisions of this Act for –

(i) all matter expressly required or allowed by this Act to be prescribed generally for carrying out the purposes of this Act and regulating the procedure to be followed, forms to be adopted and fees to be paid in connection with proceeding under this Act and all other matters ancillary or incidental thereto;

(ii) any other matter for which there is no provision or no sufficient provision in this Act and for which provision is, in the opinion of the State Government necessary for giving effect to the purposes of this Act.

(2) Any rule made under this section may provide that the contravention thereof shall be punishable with fine which may extend to three thousand rupees and where the contravention is continuing one, with a further fine which may extend to fifty rupees per day for every day during which such contravention continues.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before expiry of the session in which it is laid or the session immediately following both the Houses agree in making any modification in the rule or both the Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect as the case may be so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.



**13. Power to amend schedules** – (1) The State Government may, by notification, add to or delete or amend or alter any of the items or rate(s) in the Schedule appended to this Act.

**14. Repeal and Savings** – All provisions relating to levy of tax on advertisement other than advertisements published in newspapers under the Bihar Advertisement Tax Act 1981 and rules made thereunder (as adopted by the State of Jharkhand) or any other enactment in force, at the time of commencement of this Act shall stand repealed;

Provided that nothing in this repeal shall affect or be deemed to affect –

- (i) Any right, title, obligation or liability already required, accrued or incurred for anything done or suffered, in respect of the period immediately preceding this repeal;
- (ii) Any legal proceeding or remedy whether initiated or availed of before or after this repeal, in respect of any such right, title, obligation or liability;
- (iii) The levy, assessment or recovery of any tax or the imposition or recovery of any penalty, in respect of such period, under the provisions of such enactments and all proceedings under them in respect of all matters aforesaid shall be initiated and disposed of, or continued and disposed of, as the case may be, as if this Act had not been enforced.”